न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या-05/2021

रामसेवक सिंह

बनाम्

राज्य

—: आदेश :—

3905/-3

वर्तमान वाद की प्रक्रिया रामसेवक सिंह, पिता—स्व0 तेतर सिंह, ग्राम—डोंकी थाना—मनिका, जिला—लातेहार के द्वारा मौजा—डोंकी थाना—मनिका के हाल सर्वे खाता नं0—59 में अंकित जाति दुसाध को विलोपित कर उसके स्थान पर खरवार (आदिवासी) अंकित करने हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह मामला ग्रमा—डोंकी, थाना—मनिका, जिला—लातेहार स्थित पुराना खाता संख्या—02 जो खतियानी रैयत कईल प्रधान व भादे प्रधान, पिता—विरंची प्रधान, जाति—खरवार (आदिवासी) के नाम वर्ष 1908 में प्रकाशित है। आवेदक पुराना खतियानी रैयत के वारीसान है। हाल सर्वे में पुराना खाता नं0—02 से नया खाता नं0—59 बना, जो खतियानी रैयत के वारीसान के नाम से ही है। राजस्व पदाधिकारियों के त्रूटि के कारण जाति खरवार के स्थान पर दुसाध अंकित हो गया है। आवेदक जो सूदूरवर्ती ग्राम के निरक्षर (अनपढ़) आदिवासी समुदाय के सदस्य है, जिन्हें आधुनिक व्यवस्था की जानकारी नहीं रहने के कारण इतने दिनों तक इस हाल खाता संख्या—59 के इन्द्राज में अंकित जाति दुसाध से अनभिज्ञ थे। दिनांक 12.12.2020 को जब आवेदक अंचल कार्यालय के समक्ष कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाईन लगान रसीद प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किये तब जानकारी हुई कि हाल खतियान खाता संख्या—59 के कॉलम नं0—02 में जाति गलत दर्ज है। हाल खाता संख्या-59 के भूमि पर आवेदक का शांति—पूर्वक, जोत—कोड,

दखल–कब्जा, स्वत्व अधिकार, उतराधिकार एवं वंशानुगत आधार पर कायम है। उपलब्ध कागजातों के आधार पर हाल सर्वे खाता नं0–59 के खतियान के कॉलम नं0–02 में दर्ज जाति दुसाध को विलोपित कर जाति–खरवार शब्द अंकित किया जाय।

वंशावली

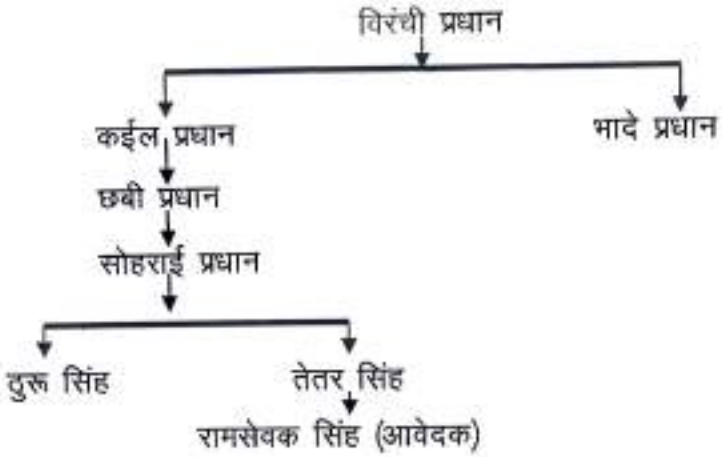

उत्तरवादी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय, पलामू के पत्रांक शून्य दिनांक 13.02.2021 से प्रतिवेदित किया गया है कि 1. ग्राम डोंकी, थाना–मनिका जिला–लातेहार से सम्बंधित बन्दोबस्त कार्यालय पलामू में उपलब्ध ग्राम अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :–

i. साविक सर्वे खाता संख्या–62 ग्राम–डोंकी थाना–मनिका से संबंधित भूमि से गैरमजरूआ खाते की एराजी था एवं साविक खाता संख्या–42 के खाता रैयत गुजर उरांव थे, जो नावल्द हो गये।

ii. उक्त दोनों साविक खाता संख्या–62 एवं 42 पर से हाल सर्वे खाता संख्या–59 एवं 60 निर्मित होता है एवं सार्वे के आरंभिक चरण यानी खानापुरी कार्यक्रम में यादस्त संख्या–140 एवं 141 में सुनवाई के क्रम में जांचोपरान्त तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू के दिनांक 31.01.1979 को पारित आदेशानुसार प्रारूप खतियान विशेषाधिकार प्राप्त रैयत के रूप में तेतर मांझी वल्द सौहराई मांझी के नाम से तैयार कर प्रकाशित किया गया था।

2. दिनांक 28.03.1990 को दफा–83(2) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत् उक्त हाल सर्वे खाता संख्या–59 एवं 60 से संबंधित खतियान का अंतिम

प्रकाशन प्रमाण पत्र के साथ तेतर मांझी पिता सोहराई मांझी जाति दुसाध के नाम से बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ सम्पन्न हो चुका है, जिसका एक प्रति आवेदकगण को प्राप्त है।

3. नियमतः दफा 90 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित समय–सीमा के अन्तर्गत आवेदकगण के आवेदन पर जाति सुधार से संबंधित लिपिकीय त्रुटि का निराकरण साक्ष्य परीक्षण के पश्चात् किया जा सकता है। साथ ही सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय, पलामू के पत्रांक 201 दिनांक 21.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हाल खेसरा संख्या–527 एवं 529 हाल खाता संख्या–59 क्रमशः साविक खेसरा संख्या–240 एवं 239 खाता संख्या–42 से निर्मित है। हाल खेसरा संख्या–530 हाल खाता संख्या–59 साविक खेसरा संख्या–310 साविक खाता संख्या–62 से निर्मित है। साविक खाता संख्या–42 गुजर सिंह पिता–अखज सिंह एवं साविक खाता संख्या–62 गैरमजरूआ मालिक का ऐराजी है। वक्त खानापुरी हाल खाता संख्या–59 हाल खेसरा संख्या–527, 529 एवं 530 खाता बनाम् तेतर मांझी पिता–सोहराईन मांझी के नाम यादास्त नं0–140 एवं 141 से बना है। खाता विशेषाधिकार प्राप्त रैयत को पर्चा मिला है के आधार पर कायमी खाता खोला गया है। आपत्ति वाद संख्या–09 से हाल खाता संख्या–60 खेसरा संख्या–528 का खाता राजस्व पदाधिकारी के द्वारा खोला गया है। आपत्ति वाद जिला अभिलेखागार, लातेहार में जमा है। प्रारूप खतियान जिससे समाहरणालय प्रति तैयार किया गया है।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक 267 दिनांक 17.11.2022 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि विविध वाद संया–05/2021 रामसेवक सिंह बनाम् बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू से संबंधित अभ्यावेदन एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के आलोक में सी0एन0टी0 एक्ट की धारा–90 अन्तर्गत निर्धारित समय–सीमा एवं साक्ष्य का परीक्षण के बिन्दु पर मांगे गये प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक रामसेवक सिंह द्वारा दाखिल आवेदन का जांच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षण एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से कराया गया। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि मौजा–डोंकी के

हाल सर्वे खाता संख्या–59, प्लॉट संख्या–527, 529 एवं 530 क्रमशः रकबा–0.02 एकड़, 0.16 एकड़ एवं 0.11 एकड़ कुल रकबा–0.29 एकड़ का खतियान तेतर मांझी पिता–सोहराई मांझी जाति–दुसाध के नाम से दर्ज है। बुझारत कन्टिनिवस खतियान फारम–II में गत सर्वे खाता संख्या–2, प्लॉट संख्या–230 एवं अन्य कुल करबा–05.50 एकड़ छबी प्रधान वल्द कईल प्रधान कौम खरवार सा0–देह दर्ज है। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के बिन्दु 2 में दर्ज है कि सविक खाता संख्या–62 एवं 42 से हाल सर्वे खाता संख्या–59 एवं 60 निर्मित है। उक्त संदर्भ में राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि गत सर्वे मांग पंजी–II के होल्डिंग संख्या–84 में सी0एस0 खाता–62 प्लॉट 310, रकबा–0.10 ए0 एवं खाता–42 प्लॉट 239 रकबा–0.16 एकड़ कुल रकबा–0.26 एकड़ टुरू दुसाध व तेतर मांझी पिता–सोहराई मांझी के नाम से मांग दर्ज है। पंजी–II के प्राधिकार कॉलम में बन्दोबस्ती वाद संख्या–96/56–57 दर्ज है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–90 विर्णत है कि "In case of discovery of bona fide or material error in record-of- rights within five years from the date of the certificate of its final publication under sub- section (2) of Section 83, the Deputy Commissioner or any Revenue Officer specially empowered by the State Government in this behalf may, on his own motion or on application made to him within the said period, after holding an inquiry in the prescribed manner, by order in writing, direct that such error shall be corrected in the manner specified in the order. Provided that no such correction shall be made." छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–83(2) के अन्तर्गत लातेहार जिला के हाल सर्वे खतियान का अंतिम रूप से झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में दिनांक 10.08.2005 को प्रकाशित हुआ है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–90 में पांच वर्ष के अन्दर

आवेदन करने का उल्लेख है परन्तु आवेदक द्वारा अंतिम प्रकाशन दिनांक 10.08.2005 के लगभग 15 वर्ष के पश्चात् उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में दिनांक 21.01.2021 को हाल सर्वे खतियान में अंकित त्रुटि सुधार के लिए आवेदन समर्पित किया गया है, जो नियमानुसार/नियमसंगत नहीं है एवं Hopelessly barred by limitation से आच्छादित है तथा इस बावत आवेदक के द्वारा कोई भी संतोषजनक कारण नहीं दिया गया है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है। आवेदक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम,1908 के अन्य सुसंगत धारा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार में अपना दावा पेस कर सकते हैं।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.06.10 17:08:26 +05:30
Location: 10.93.47.5